347

संख्याः–929 /VI(1)/2013–03(16)/2008

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 28 मार्च, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से भूमि अध्याप्ति/क्रय मद में प्राप्त धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–345/2–6–487/2012–13, दिनांक 31 जनवरी, 2013 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रस्तावित रोप वे तथा राम गंगा वैली के अल्पज्ञात सर्किट का विकास योजना हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो एव निजी भूमि के भुगतान के लिए प्रस्तावित धनराशि ₹ 19,18,404 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 में भूमि अध्याप्ति/क्रय हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि ₹ 19.18 लाख को निम्नलिखित विवरणों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0 सं0	मद/योजना का नाम	चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रस्तावित रोप वे परियोजना जानकीचट्टी से यमुनोत्री रज्जू मार्ग के निर्माण हेतु 3.838 हे0 वन भूमि का भुगतान	7,98,000
2	राम गंगा वैली के अल्पज्ञान सर्किट का विकास योजना अन्तर्गत निजी भूमि का भुगतान	11,20,000
	कुल योग	**19,18,000**

(I) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(II) धक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि उक्त निर्माण हेतु वन विभाग की अनुमति प्राप्त करते हुए उसकी पूरी कार्य योजना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(III) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

...2

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है, मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। वन विभाग को धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इसकी सूचना शासन को दी जायेगी।

(VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि को उक्त रोप वे के विडर से प्राप्त कर राजकोष में जमा किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–19–पर्यटक आवास गृहों/पर्यटन विकास योजनाओं के लिए भूमि अध्याप्ति/क्रय–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–980/XXVII(2)/2013, दिनांक 25 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S..... द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः– 929 /VI(1)/2013–03(16)/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी।
5– अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त अनुभाग–2.
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।